न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 44/2016

अपीलांट

1. भंवरलाल पुत्र दुर्गाराम जाति कुम्हार निवासी चाटेलाव तहसील रोहट जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मधुबाला पत्नी जगदीश कुमार बालोत जाति जीनगर निवासी मण्डार तहसील रेवदर जिला सिरोही हाल निवासी जोधपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री धर्मेन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05/12/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 20ए/2015 बउनवान मधुबाला बनाम भंवरलाल में पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी मौजा चांटेलाव तहसील रोहट के खसरा नंबर 10/5 रकबा 03 बीघा में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 11 रकबा 3.09 बीघा में से रास्ता प्रदान करने का निवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

किया। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस तामिल होने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन पेश किया, जिसे खारिज करने पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी पेश की गई, जो निगरानी स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया तत्पश्चात उक्त आवेदन को खारिज किया, तत्पश्चात् अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 18.03.2016 को दोनो पक्षों की उपस्थिति में मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया, जिसे पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक को दोनो पक्षों की उपस्थिति में नोटिस देकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया।

दिनांक 01.06.2016 को न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर जैर अपील आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेण्ट के प्रकरण को स्वीकार कर 30 फीट चौड़ाई का रास्ता अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से दिये जाने का आदेश पारित किया, अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया।

खसरा नम्बर 10 के पूर्व खातेदार के और वर्तमान खातेदारों के आने जाने हेतु खसरा नम्बर 12 में से रास्ता लगातार मौके पर उपलब्ध रहा है। खसरा नम्बर 11 के पश्चिमी माठ अथवा अन्य किसी माठ से खसरा नम्बर 10 में आने जाने हेतु कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। अपीलाण्ट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 11 जिसका रकबा मात्र 3 बीघा 9 बिस्वा है, उपरोक्त खसरा में से नया रास्ता दिये जाने से अपीलाण्ट का रकबा बहुत कम हो जायेगा तथा भूमि किसी उपयोग की नहीं रहेगी। खसरा नम्बर 12 उसका रकबा 91 बीघा 2 बिस्वा है, जो रेस्पोडेण्ट की खातेदारी के रकबे से 30 गुणा अधिक है। जिसमें से रास्ता को स्थाई किए जाने से रेस्पोडेण्ट को कोई असुविधा नहीं होगा। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी मौजा चांटेलाव तहसील रोहट के खसरा नंबर 10/5 रकबा 03 बीघा में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 11 रकबा 3.09 बीघा में से रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक बिठू से वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका/जांच रिपोर्ट अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका/जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी मौजा चांटेलाव तहसील रोहट के खसरा नंबर 10/5 रकबा 03 बीघा में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 11 रकबा 3.09 बीघा में से रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अपीलाण्ट को तलब किया गया। अपीलाण्ट के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में भू–अभिलेख निरीक्षक बिठू को मौका/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी जैर अपील आदेश का विधिक परीक्षण करने हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का आद्योपंत परीक्षण किया तो प्रकट आया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका/जांच रिपोर्ट दिनांक 01.06.2016 के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त मौका/जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तैयार की गई मौका रिपोर्ट में धारा '251 ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों आत्यंतिक आवश्कता , वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुतम मार्ग के बिन्दुओ का कोई जांच तथ्य अंकित नही किए गए हैं। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–69 के अनुसार

> ***"69. Enquiry and disposal of application.-*** *On receipt of an application in form 1 The Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the inspector Land Records and invite objection from the affected person The sub divisional officer after affording an opportunity of being heard to the parties and after making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved may*

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

allow the application. The application shall be decided by the Sub divisional Officer within 90 days from the date of application .

इस प्रकार नियम 69 में उल्लेखित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में " हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओं की सम्पूर्ण जांच का अभाव पाया गया है, जिसके कारण जैर अपील आदेश को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलेक्टर रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 20ए/2015 बउनवान मधुबाला बनाम भंवरलाल में पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 को अपास्त किया जाकर इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार रोहट या भू–अभिलेख निरीक्षक के स्वयं की उपस्थिति में मौका/जांच रिपोर्ट उभयपक्षों की उपस्थिति में निर्धारित प्रपत्र में तैयार करवायें और अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली